

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (आवासीय एवं वाणिज्यिक दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति वर्गमीटर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7. 2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		आवासीय	वाणिज्यिक			आवासीय	वाणिज्यिक		
1	जोन न.1 डबली वास मिढा रोही, डबली वास सरदारा डबली वास फतेहमोहम्मद (मलकोका)	196	1212	905	जोन न.1 डबली वास मिढा रोही, डबली वास सरदारा डबली वास फतेहमोहम्मद (मलकोका)	220	1340	1000	
2	जोन न.2 ग्राम डबली वास पेमा	607	1810	1505	जोन न.2 ग्राम डबली वास पेमा	670	2000	1660	
3	जोन न.3 ग्राम डबली वास चैना	322	1212	920	जोन न.3 ग्राम डबली वास चैना	360	1340	1020	
4	जोन न.4 ग्राम 1एलजीडब्ल्यू	322	1212	600	जोन न.4 ग्राम 1एलजीडब्ल्यू	360	1340	660	
5	जोन न.5 ग्राम 2पीबीएन	322	1505	905	जोन न.5 ग्राम 2पीबीएन	360	1660	1000	
6	जोन न.6 ग्राम डबली वास मौलवी	630	3275	2855	जोन न.6 ग्राम डबली वास मौलवी	700	3610	3140	
7	जोन न.7 ग्राम डबली वास कुतुब	378	1351	920	जोन न.7 ग्राम डबली वास कुतुब	420	1490	1020	

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (आवासीय एवं वाणिज्यिक दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति वर्गमीटर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7. 2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		आवासीय	वाणिज्यिक			आवासीय	वाणिज्यिक		
8	डबली वास मौलवी हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड़	715	3720	3250	डबली वास मौलवी हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड़ कॉलोनी ग्रीन सिटी, / गुरुनानक नगर / डबली राठान बस सरस्टैण्ड से होस्पिटल रोड़ पुराना बाजार डबली राठान	790	4100	3580	
9	डबली वास कुतुब हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड़	430	1535	1045	डबली वास कुतुब हनुमानगढ़ पीलीबंगा रोड़	480	1690	1150	
10	जोन न.8 ग्राम डबली चुगता	322	1212	905	जोन न.8 ग्राम डबली चुगता	360	1340	1000	
11	जोन न.9 ग्राम चक जहाना, ग्राम सहजीपुरा करनीसर	322	1212	600	जोन न.9 ग्राम चक जहाना, ग्राम सहजीपुरा करनीसर	360	1340	660	
12	जोन न.10 ग्राम मसरुवाला	307	1212	600	जोन न.10 ग्राम मसरुवाला	340	1340	660	
13	जोन न.11 ग्राम 42एसएसडब्ल्यू दूधवाली ढाणी, चोटिया वाली ढाणी	238	1212	600	जोन न.11 ग्राम 42एसएसडब्ल्यू दूधवाली ढाणी, चोटिया वाली ढाणी	270	1340	660	
14	जोन न.12 ग्राम बहलोलनगर,	196	1212	600	जोन न.12 ग्राम बहलोलनगर,	220	1340	660	

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित्त/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (आवासीय एवं वाणिज्यिक दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति वर्गमीटर		जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित्त/कर / 2014-61 दिनांक 14.7. 2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि		विशेष विवरण
		आवासीय	वाणिज्यिक		आवासीय	वाणिज्यिक	
15	जोन न. 13 मण्डी समिति सब यार्ड		3165 2850	मण्डी समिति सब यार्ड जोन 13		3490 3140	

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (कृषि भूमि की दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति हैक्टर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)	
जोन न.1									
1	7जेआरके	641000	543000	425250	7जेआरके	706000	598000	468000	
2	9 जेआरके				9 जेआरके				
3	11 जेआरके				11 जेआरके				
4	12 जेआरके				12 जेआरके				
5	13 जेआरके				13 जेआरके				
6	14 जेआरके / ए				14 जेआरके / ए				
7	14 जेआरके / बी				14 जेआरके / बी				
8	15 जेआरके				15 जेआरके				
9	10जे.डी.डब्ल्यू				10जे.डी.डब्ल्यू				
10	12जे.डी.डब्ल्यू				12जे.डी.डब्ल्यू				
11	1एल.जी.डब्ल्यू				1एल.जी.डब्ल्यू				
12	7 एम.ओ.डी.				7 एम.ओ.डी.				
13	8 एम.ओ.डी.				8 एम.ओ.डी.				
14	9 एम.ओ.डी.				9 एम.ओ.डी.				
15	10 एम.ओ.डी.				10 एम.ओ.डी.				
16	16जेआरके				16जेआरके				
17	2 एम.ओ.डी. / ए				2 एम.ओ.डी. / ए				
18	2 एम.ओ.डी. / बी				2 एम.ओ.डी. / बी				
19	4एम.ओ.डी.				4एम.ओ.डी.				

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (कृषि भूमि की दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति हैक्टर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)	
20	5एम.ओ.डी.				5एम.ओ.डी.				
21	6एम.ओ.डी.	641000	543000	425000	6एम.ओ.डी.	706000	598000	468000	
22	चक 35एस.एस.डब्ल्यू				चक 35एस.एस.डब्ल्यू				
23	चक 40एस.एस.डब्ल्यू				चक 40एस.एस.डब्ल्यू				
24	चक 42एस.एस.डब्ल्यू				चक 42एस.एस.डब्ल्यू				
25	चक 32एन.डी.आर				चक 32एन.डी.आर				
26	35एन.डी.आर.				35एन.डी.आर.				
जोन न.2									
27	चक 33 एस.एस.डब्ल्यू	592000	515000	418000	चक 33 एस.एस.डब्ल्यू	652000	567000	460000	
28	चक 34 एस.एस.डब्ल्यू				चक 34 एस.एस.डब्ल्यू				
29	चक36 एस.एस.डब्ल्यू				चक36 एस.एस.डब्ल्यू				
30	चक 37 एस.एस.डब्ल्यू				चक 37 एस.एस.डब्ल्यू				
31	चक 38 एस.एस.डब्ल्यू				चक 38 एस.एस.डब्ल्यू				
32	चक 39 एस.एस.डब्ल्यू				चक 39 एस.एस.डब्ल्यू				
33	चक 41 एस.एस.डब्ल्यू				चक 41 एस.एस.डब्ल्यू				
34	चक 43 एस.एस.डब्ल्यू				चक 43 एस.एस.डब्ल्यू				
35	चक 44 एस.एस.डब्ल्यू				चक 44 एस.एस.डब्ल्यू				
36	चक 45 एस.एस.डब्ल्यू				चक 45 एस.एस.डब्ल्यू				
37	1 आर				1 आर				
38	2आर				2आर				
39	चक 1ए.आर.डब्ल्यू				चक 1ए.आर.डब्ल्यू				

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (कृषि भूमि की दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति हैक्टर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)	
40	चक 4ए.आर.डब्ल्यू				चक 4ए.आर.डब्ल्यू				
41	चक 4ए.आर.डब्ल्यू/ ए				चक 4ए.आर.डब्ल्यू/ ए				
42	चक 5ए.आर.डब्ल्यू/ ए	592000	515000	418000	चक 5ए.आर.डब्ल्यू/ ए	652000	567000	460000	
43	चक 5ए.आर.डब्ल्यू/ बी				चक 5ए.आर.डब्ल्यू/ बी				
जोन 3									
44	8जे.आर.के.	835000	696000	626500	8जे.आर.के.	919000	766000	689000	
45	3एमओडी				3एमओडी				
46	चक 2डीबीएल				चक 2डीबीएल				
47	चक 3डीबीएल				चक 3डीबीएल				
48	चक 2पीबीएन				चक 2पीबीएन				
49	चक 3पीबीएन				चक 3पीबीएन				
50	चक 4पीबीएन				चक 4पीबीएन				
जोन 4									
51	चक 7एसटीजी	1044000	905000	765500	चक 7एसटीजी	1149000	996000	842000	
52	चक 8 एसटीजी/ ए				चक 8 एसटीजी/ ए				
53	चक 8 एसटीजी/ बी				चक 8 एसटीजी/ बी				
54	चक 9 एसटीजी				चक 9 एसटीजी				
55	चक 10 एसटीजी				चक 10 एसटीजी				
56	चक 11 एसटीजी				चक 11 एसटीजी				
57	चक 13 एसटीजी				चक 13 एसटीजी				

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (कृषि भूमि की दरें)

क्र.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति हैक्टर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)	
58	चक 14 एसटीजी	1149000 नाली क्षेत्र 10 प्रतिशत अतिरिक्त			चक 14 एसटीजी	1264000 नाली क्षेत्र 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
59	चक 15एसटीजी/ए				चक 15एसटीजी/ए				
60	चक 15एसटीजी/बी				चक 15एसटीजी/बी				
61	चक 16एसटीजी				चक 16एसटीजी				
62	चक 17एसटीजी	1149000 नाली क्षेत्र 10 प्रतिशत अतिरिक्त			चक 17एसटीजी	1264000 नाली क्षेत्र 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
63	चक 18एसटीजी				चक 18एसटीजी				
64	चक 19एसटीजी				चक 19एसटीजी				
65	चक 20एसटीजी				चक 20एसटीजी				
66	1डीबीएल/ए				1डीबीएल/ए				
67	1डीबीएल/बी				1डीबीएल/बी				
जोन न.5									
	7एसटीजी	नोट:- हनुमानगढ़-पीलीबंगा सड़क सीमा से दोनो ओर 1/4- 1/4 कि.मी. (आबादी क्षेत्र को छोड़ कर)			7एसटीजी	नोट:- हनुमानगढ़-पीलीबंगा सड़क सीमा से दानो ओर 1/4- 1/4 कि.मी. (आबादी क्षेत्र को छोड़ कर)			
	9एसटीजी, 10एसटीजी				9एसटीजी, 10एसटीजी				
	14एसटीजी, 17एसटीजी				14एसटीजी, 17एसटीजी				
	1डीबीएल/ए, 1डीबीएल/बी/3डीबीएल	सड़क से 100-100 मीटर दोनो तरफ 3600000 रु प्रति हैक्टर	सड़क से दोनो तरफ 100-100 मीटर छोड. कर शेष भूमि 100- 100 मीटर (सड़क से 200मीटर तक) 2500000 रु प्रति हैक्टर	1डीबीएल/ए, 1डीबीएल/बी/3डीबीएल	सड़क से 100-100 मीटर दोनो तरफ 3960000 रु प्रति हैक्टर	सड़क से दोनो तरफ 100-100 मीटर छोड. कर शेष भूमि 100- 100 मीटर (सड़क से 200मीटर तक) 2750000 रु प्रति हैक्टर			
	3पी.बी.एन., 4पी.बी.एन.				3पी.बी.एन., 4पी.बी.एन.				

नोट :- (1) क- सिंचित क्षेत्र में बरानी अनकमाण्ड का निर्णय गिरदावरी के आधार पर किया जाएगा तथा बरानी भूमि का मुख्य सिंचित की प्रथम श्रेणी का आधा माना जाएगा

उप पंजीयक डबली राठान जिला हनुमानगढ़

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(15)वित/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि (कृषि भूमि की दरें)

कं.सं	चक का नाम	डीएलसी की बैठक दिनांक 11.7.2013 में अनुमोदित दरें, एवं दिनांक 12.7.2013 से लागू दरें प्रति हैक्टर			जोन न. व इसमें शामिल क्षेत्र/ चक	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (15) वित/कर / 2014-61 दिनांक 14.7.2014 द्वारा अप्रैल 2015 से डीएलसी में 10% की वृद्धि			विशेष विवरण
		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)		प्रथम श्रेणी (मोघे के पास)	द्वितीय श्रेणी मध्य में	तृतीय श्रेणी (मोघे से दूर)	

ख- चक एसएसडब्ल्यू में जंहा भी किसी क्षेत्र की किस्म नाली अंकित होगी उसका मूल्य 1271000/- 1114000/- 996000 /- प्रति हैक्. होगा

ग- उप तहसील क्षेत्र में जंहा भी भूमि की किस्म नाली अंकित होगी उसका मूल्य डी.एल.सी. की वर्तमान दरों में 10 प्रतिषत अधिक मान कर मूल्य निर्धारित किया जाएगा

घ- विधुतिकरण ट्यूबवैल की मालियति 252000/ एवं इंजन ट्यूबवैल की मालियति 192000/रुपये आंकलन योग्य है।

ग- यह समस्त प्रस्ताव मिटिंग में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये है, ये मेरे द्वारा जाँच कर लिये गये हैं।